प्रेस विज्ञप्ति
31.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने फर्जी रजिस्ट्री और भूमि धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 30.08.2024 को देहरादून (उत्तराखंड), सहारनपुर, बिजनौर (यूपी), लुधियाना (पंजाब), दिल्ली और बोंगाईगांव (असम) में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।

ईडी ने राजस्व अभिलेखागार में संपत्ति पंजीकरण के रिकॉर्ड में हेरफेर करके अपराध करने के लिए कमल विरमानी (वकील) और अन्य के खिलाफ भा.द.स., 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत उत्तराखंड पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाने के लिए संपत्ति पंजीकरण के रिकॉर्ड में हेराफेरी की और कलेक्टर और रजिस्ट्रार कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की मदद से राजस्व अभिलेखागार में फर्जी दस्तावेज को मूल दस्तावेजों से बदल दिया। इनमें से अधिकांश मामलों में संपत्ति को पहले सह-अभियुक्तों के रिश्तेदारों के नाम पर हस्तांतरित दिखाया गया है, जिनकी पहले ही मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद आरोपी जो उन मृतकों का कानूनी उत्तराधिकारी है, जिनके नाम पर संपत्ति फर्जी दस्तावेज़ के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी, संपत्ति पर अधिकार का दावा करता है।

तलाशी अभियान के दौरान, अचल और चल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज पाए और जब्त किए गए। 24.50 लाख रुपये की नकदी जब्त कर ली गई है और 11.50 लाख रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं जो बैंक खाते में पड़े थे। एक परिसर से 58.80 लाख रुपये मूल्य के हीरे, सोने और चांदी के आभूषणों से युक्त आभूषण भी जब्त किए गए हैं। साथ ही डिजिटल उपकरण जैसे मोबाइल, पेनड्राइव और बैंकों से संबंधित अन्य दस्तावेज भी पाए गए और जब्त किए गए हैं।

आगे की जांच जारी है।